(219)

संख्या- 451 /एक-10-2024-33(36)/2023

प्रेषक,

राम केवल,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

कासगंज, कानपुर नगर, एटा, चित्रकूट, मऊ, गाजीपुर, उन्नाव, बांदा, हरदोई, श्रावस्ती, बिजनौर, महोबा, मथुरा, बाराबंकी, बलिया, बस्ती, गोण्डा, मीरजापुर, खीरी, शाहजहांपुर, वाराणसी, प्रतापगढ, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर, रायबरेली, सम्भल, मैनपुरी, बहराइच, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, औरैया, गाजीपुर, बरेली, देवरिया, सोनभद्र एवं बलरामपुर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2024

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में बेमौसम भारी वर्षा/ अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0-303/1-11-2016- 4(जी/(2016, दिनांक 27.06.2016, अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा **बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि,** आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, अधिसूचना सं0-393/1-11-2018-4(जी(2016, दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव वन्यजीव द्वन्द्ध एवं अधिसूचना सं-0-387/एक-11-2021-4(जी/(2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु तथा सं/586 0एक2015/(जी) 4-2022-11-, दिनांक के आघात (नीलगाय) द्वारा सांड एवं वनरोज 13.10.2022 से होने वाली घटनाओं को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में **बेमौसम भारी वर्षा / अतिवृष्टि** से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों /परिवारों को राहतप्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों प्रतिबन्धों के अधीन/ **रू019,32,01,973.00 (रूपये उन्नीस करोड़ बत्तीस लाख एक हजार नौ सौ तिहत्तर मात्र)** की धनराशि निम्न तालिका के कालम -2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कालम-3 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

कमांक	जनपद का नाम / वित्तीय वर्ष	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रूपये में)
1	2	3
1	कासगंज (वित्तीय वर्ष 2023–24)	2,00,00,000.00
2	कानपुर नगर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	90,00,000.00
3	एटा (वित्तीय वर्ष 2023–24)	20,00,000.00
4	चित्रकूट(वित्तीय वर्ष 2023–24)	1,00,00,000.00
5	मऊ (वित्तीय वर्ष 2023–24)	50,00,000.00
6	गाजीपुर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	40,00,000.00
7	उन्नाव (वित्तीय वर्ष 2023–24)	50,00,000.00
8	बांदा (वित्तीय वर्ष 2023–24)	50,00,000.00
9	हरदोई (वित्तीय वर्ष 2023–24)	1,00,00,000.00
10	श्रावस्ती (वित्तीय वर्ष 2023–24)	14,42,000.00
11	बिजनौर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	41,59,000.00
12	महोबा (वित्तीय वर्ष 2023–24)	25,00,000.00
13	मथुरा (वित्तीय वर्ष 2023–24)	30,00,000.00

14	बाराबंकी (वित्तीय वर्ष 2023–24)	70,00,000.00
15	बलिया (वित्तीय वर्ष 2023–24)	30,00,000.00
16	बस्ती (वित्तीय वर्ष 2023–24)	50,00,000.00
17	गोण्डा (वित्तीय वर्ष 2023–24)	50,00,000.00
18	मीरजापुर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	25,00,000.00
19	खीरी (वित्तीय वर्ष 2023–24)	30,00,000.00
20	शाहजहांपुर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	50,00,000.00
21	वाराणसी (वित्तीय वर्ष 2023–24)	50,00,000.00
22	प्रतापगढ़ (वित्तीय वर्ष 2023–24)	15,00,000.00
23	मुरादाबाद (वित्तीय वर्ष 2023–24)	15,13,640.00
24	सिद्धार्थनगर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	1,00,00,000.00
25	रायबरेली (वित्तीय वर्ष 2023–24)	30,00,000.00
26	सम्भल(वित्तीय वर्ष 2023–24)	22,00,000.00
27	मैनपुरी(वित्तीय वर्ष 2023–24)	25,00,000.00
28	बहराइच (वित्तीय वर्ष 2023–24)	45,00,000.00
29	लखनऊ(वित्तीय वर्ष 2023–24)	50,00,000.00
30	प्रयागराज (वित्तीय वर्ष 2023–24)	1,00,00,000.00
31	गोरखपुर (वित्तीय वर्ष 2023–24)	50,00,000.00
32	औरैया (वित्तीय वर्ष 2021–22)	4,00,000.00
33	गाजीपुर (वित्तीय वर्ष 2022–23)	5,33,333.00
34	बरेली(वित्तीय वर्ष 2023–24)	1,25,00,000.00
35	देवरिया(वित्तीय वर्ष 2023–24)	80,00,000.00
36	सोनभद्र (वित्तीय वर्ष 2022–23)	4,54,000.00
	सोनभद्र (वित्तीय वर्ष 2023–24)	70,00,000.00
37	बलरामपुर(वित्तीय वर्ष 2023–24)	25,00,000.00
कुल योग		**19,32,01,973.00**
(रूपये उन्नीस करोड़ बत्तीस लाख एक हजार नौ सौ तिहत्तर मात्र)		

नियम व शर्तेप्रतिबन्धों/

(1) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या-437/6 INST/ECI/FUNCT/MCC/2024(MCC ENFORCEMENT) दिनांक 02 जनवरी, 2024 एवं अन्य निर्गत शासनादेशों द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्गत मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट में रिलीफ मेजर के सम्बन्ध में जो भी विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए राहत वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों /परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से देशवितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासना सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनाक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है, में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार सेसीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई-पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमत: समायोजन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1(Vol-II)] दिनांक 10.10.2022, जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक दरें निर्धारित हैं तथा जो वित्तीय वर्ष/2022-23 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(6) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(7) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखाजोखा रखा जाये तथा माह के अंत में-सिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह कीजिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मा05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(9) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोगशासनादेश सं समर्पण के संबंध में/0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचतअवशेष की / दिनांक/स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(10) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(11) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू019,32,01,973.00 (रूपये उन्नीस करोड़ बत्तीस लाख एक हजार नौ सौ तिहत्तर मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा मद से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231-/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या- 451 (1)/एक-10-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।

5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-26/03/2024

प्रेषण संख्या:-	451
आवंटन आदेश संख्या:-	001-451
अनुदान संख्या:-	51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:-	2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय) 05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड 800 - अन्य व्यय 06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय 09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 46029507	3000000 46029507
2	मैनपुरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 19200000	2500000 19200000
3	एटा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 17700000	2000000 17700000
4	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	12500000 41508304	12500000 41508304
5	बिजनौर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4159000 28659000	4159000 28659000
6	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1513640 15513640	1513640 15513640
7	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 35000000	5000000 35000000
8	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9000000 21000000	9000000 21000000
9	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 59000000	10000000 59000000
10	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 52500000	5000000 52500000
11	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 31700000	5000000 31700000
12	मिर्ज़ापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 45333500	2500000 45333500
13	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4533333 55463733	4533333 55463733
14	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 35500000	3000000 35500000
15	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 37106350	5000000 37106350
16	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 16000000	5000000 16000000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
17	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8000000 27000000	8000000 27000000
18	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 19500000	5000000 19500000
19	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 54000000	5000000 54000000
20	रायबरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 50500000	3000000 50500000
21	हरदोई-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 67500000	10000000 67500000
22	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 62700000	3000000 62700000
23	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 20905000	5000000 20905000
24	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4500000 48000000	4500000 48000000
25	प्रतापगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1500000 34000000	1500000 34000000
26	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7000000 55500000	7000000 55500000
27	मऊ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 15600000	5000000 15600000
28	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 49200000	10000000 49200000
29	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7454000 103954000	7454000 103954000
30	महोबा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 37000000	2500000 37000000
31	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 14000000	2500000 14000000
32	औरैया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	400000 12900000	400000 12900000
33	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1442000 12942000	1442000 12942000
34	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 37500000	10000000 37500000
35	कांसगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 40000000	20000000 40000000
36	सम्बल-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2200000 14700000	2200000 14700000
	योग	वर्तमान प्रगामी	193201973 1334615034	193201973 1334615034

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उनीस करोड़ बत्तीस लाख एक हजार नौ सौ तिहत्तर

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब तैंतीस करोड़ छियालीस लाख पन्द्रह हजार चौंतीस

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(जाह्नवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन